समाहरणालय, जहानाबाद
(जिला कार्मिक कोषांग)

फोन नं0 :– 06114–223001, 223004
फैक्स नं0 :– 06114–223142
ई–मेल :– dm-jehanabad.bih@nic.in

मतगणना आदेश

जहानाबाद जिला में विधान सभा निर्वाचन 2015 हेतु **मतगणना दिनांक 08.11.2015 को प्रातः 8.00 बजे** पूर्वाहन में प्रारंभ होगी और सभी पदाधिकारी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी, मतगणना सहायक एवं अन्य कर्मियों का योगदान **प्रातः 06 बजे पूर्वाह्न में लिया जायेगा।** विधान सभा निर्वाचन 2015 के क्रम में **216–जहानाबाद, 217–घोषी एवं 218–मखदुमपुर** विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के उपरान्त एस0एस0 कॉलेज जहानाबाद स्थित सभी विधानसभा क्षेत्र के पोल्ड ई0भी0एम0 निम्न प्रकार से स्थापित बज्रगृह में सुरक्षित रखे जा चुके है। इन बज्रगृहों के बगल में भी मतगणना हॉल का निर्माण कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा किया गया है। मतगणना हॉल की विधानसभा वार अवस्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. **मतगणना कक्ष का विवरण :–**

क्र0	विधानसभा क्षेत्र	मतगणना हॉल की अवस्थिति
1	2	3
1	**216– जहानाबाद**	मुख्य प्रशासनिक भवन, प्रथम तल्ल पूर्वी भाग
2	**217– घोषी**	मुख्य प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल्ल पश्चिमी भाग
3	**218– मखदुमपुर**	मुख्य प्रशासनिक भवन, द्वितीय तल्ल पूर्वी भाग

2. विधानसभा वार निर्वाची पदाधिकारी का विवरण

क्र0	विधानसभा क्षेत्र	निर्वाची पदाधिकारी का नाम
1	2	3
1	**216– जहानाबाद**	**श्री मनोरंजन कुमार**, अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
2	**217– घोषी**	**श्री अमिताभ सिन्हा**, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, जहानाबाद
3	**218– मखदुमपुर**	**श्री राम ईश्वर**, अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद

3. **मतगणना** :– मतगणना दिनांक **08.11.2015 को 8.00** बजे पूर्वाहन में प्रारंभ होगी। विधानसभा वार निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के देख–रेख में मतगणना का कार्य 14 टेबुल पर होगा अर्थात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वार में 14 मतदान केन्द्रों की मतगणना सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक मतगणना टेबुल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक एवं एक मतगणना सहायक के नियुक्ति पत्र निर्गत किये जा रहे है। साथ ही प्रत्येक मतगणना टेबुल पर मतगणना, माइक्रो प्रेक्षक का नियुक्ति पत्र भी निर्गत किया जा रहा है।

प्रत्येक राउन्ड के मतगणना के उपरान्त मतदान पर्यवेक्षक निर्वाची पदाधिकारी के टेबुल पर से प्रपत्र–17C भाग –2 में मतगणना का परिणाम उपलब्ध एजेन्टों के हस्ताक्षर के उपरांत दो प्रति में **(एक मूल तथा दूसरा कार्वन प्रति)** समर्पित किया जायेगा। प्रपत्र–17C भाग–02 इन परिणामों को निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में समेकित कराया जायेगा और जाचोपरान्त हस्ताक्षर किया जायेगा। समेकित प्रतिवेदन पर **संबंधित विधान सभा क्षेत्र के प्रेक्षक का हस्ताक्षर होगा।**

इसी प्रकार मतगणना माइक्रो प्रेक्षक के द्वारा भी यह प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा और निर्वाची पदाधिकारी के टेबुल पर प्रतिनियुक्त द्वितीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी द्वारा मतगणना माइक्रो प्रेक्षक का प्रतिवेदन समेकित कर प्रेक्षक टेबुल को उपलब्ध करायेंगे। निर्वाची पदाधिकारी को सहयोग करने हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, कर्मियों, कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रतिनियुक्ति आदेश **निर्वाची पदाधिकारी 216–जहानाबाद द्वारा ज्ञापांक 435/नि0, दिनांक 28.10.2015 से, निर्वाची पदाधिकारी, 217–घोषी द्वारा ज्ञापांक 216/नि0, दिनांक–29.10.2015 से एवं निर्वाची पदाधिकारी–218 मखदुमपुर द्वारा ज्ञापांक 429/नि0, दिनांक 30.10.2015 से निर्गत किया जा चुका है**। अधोहस्ताक्षरी के साथ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी / कर्मी की सूची **परिशिष्ट–1** पर एवं नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों की सूची **परिशिष्ट 02** पर संलग्न है।

सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक चक्र में मतगणना के पश्चात कार्यवाही पंजी में **मतगणना अभिकर्ता का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे** ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपति नहीं हो।

17सी भाग 2 के कार्बन कॉपी की छायाप्रति मतगणना अभ्यर्थी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मतगणना अभिकर्त्ता को उपलब्ध कराया जाना है। प्रत्येक मतगणना हॉल के लिये **फोटोस्टेट मशीन की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी** करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक विधानसभा के मतगणना हॉल में दो अतिरिक्त माइक्रो प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति आर0ओ0 टेबुल पर की जायेगी जिनका दायित्व निम्नप्रकार होगाः–

1. प्रथम माइक्रो प्रेक्षक का यह दायित्व होगा कि कम्प्यूटर में जो डाटा प्रविष्ट किया जा रहा है, वह मतगणना टेबुल पर उपलब्ध कराये गये 17 सी0 प्रपत्र–2 में उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुरूप हों।
2. द्वितीय माइक्रो प्रेक्षक का यह दायित्व होगा कि जो कम्प्यूटर से प्रिंट आउट निकाला जा रहा है उसका पुनः जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुरूप ही है।

नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र मतगणना हॉल में आर0ओ0 टेबुल पर दो मतगणना माइक्रो प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति ससमय हो जाय।

(अनुपालन– नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग, जहानाबाद एवं उपनिर्वाचन पदाधिकारी)

4. **मतगणनाकर्मी** : भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में विधान सभा वार द्वितीय रैण्डमाईजेशन के आधार पर मतगणना पर्यवेक्षक/मतगणना सहायक एवं माईक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति पत्र संबंधित विधान सभा के निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

द्वितीय रैण्डमाईजेशन मतगणना प्रारंभ होने के 24 घंटे पूर्व प्रेक्षक एवं सभी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के उपस्थिति में अर्थात दिनांक 07.11.2015 को जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, जहानाबाद में किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में विधानसभा वार एवं टेबुलवार रैण्डमाईजेशन के आधार पर मतगणना पर्यवेक्षक/ मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो प्रेक्षक की नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। तृतीय रैण्डमाईजेशन दिनांक 08.11.2015 को एस0एस0 कॉलेज, जहानाबाद में प्रातः 05 बजे प्रेक्षक एवं सभी निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। अतः सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि प्रेक्षक के उपस्थिति में तृतीय रैण्डमाईजेशन जो संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है के लिए दो कम्प्यूटर सेट तथा उच्च क्वालिटी का प्रिंटर दिनांक 06.11.2015 तक अचूक रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी, जहानाबाद एवं श्री सर्वेश कुमार, सहायक सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी, जहानाबाद को आदेश दिया जाता है कि इस संबंध में अपने स्तर से जॉच कर अधोहस्ताक्षरी को 06.11.2015 को अचूक रूप से सुस्पष्ट प्रतिवेदन देंगे ताकि तृतीय रैण्डमाईजेशन ससमय संभव हो सकें।

तृतीय रैण्डमाईजेशन के पश्चात एस0एस0 कॉलेज के अन्दर कार्मिक कोषांग द्वारा मतगणना ममाईक्रोप्रेक्षक, मतगणना प्रेक्षक एवं मतगणना सहायक का नियुक्ति पत्र एवं परिचय पत्र विधान सभा वार टेबुल लगाकर उपलब्ध कराया जायेगा।

जिला कार्मिक कोषांग के द्वारा एस0एस0 कॉलेज, जहानाबाद के परिसर के अंदर बनाये गये तीन टेन्ट में मतगणना माइक्रो प्रेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक एवं सहायक का योगदान लिया जायेगा और विशेष परिस्थिति में ही सुरक्षित कर्मी से इसका प्रतिस्थापन करना सुनिश्चित किया जायेगा। विधानसभा वार कर्मियों को योगदान के पश्चात् मतगणना हॉल मे भी उक्त कर्मियों का विधानसभा वार योगदान लेना सुनिश्चित करेंगे। कार्मिक कोषांग के कार्मिकों के योगदान हेतु कर्मियों की सूची **परिशिष्ट–03** पर है।

उप निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक कोषांग के कर्मियों के योगदान हेतु **एस0एस0 कॉलेज परिसर परिसर में गेट के पास विधानसभा वार तीन टेन्ट का निर्माण करायेंगे । प्रत्येक टेन्ट में कर्मियों को बैठने हेतु 60 कुर्सी, माईक व्यवस्था, योगदान लेने हेतु दो टेबुल छः कुर्सी सहित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।** सुरक्षित कर्मी के लिए भी अलग से 20 कुर्सी लगाये जायेंगे।

नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग आवश्यकतानुसार सुरक्षित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे ताकि कर्मियों की कमी नही हो। सुरक्षित पदाधिकारी की सूची **परिशिष्ट–04** पर संधारित है। **संबंधित पदाधिकारी मतगणना नियंत्रण कक्ष में कार्यरत रहेंगे।**

(अनुपालन– नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग, उपनिर्वाचन पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग)

5. **मानदेय का भुगतान :** मतगणना कार्य में संलग्न सभी कार्मिकों का मानदेय का भुगतान का निर्धारण इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1234/का0को0 दिनांक 16.09.2015 से निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है।

क्र0	पदनाम	मानदेय की राशि
1	2	3
1	पदाधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक/मतगणना माईक्रो प्रेक्षक	700.00
2	मतगणना सहायक/ वर्ग 03 के कर्मी (चालक सहित)	500.00
3	चतुर्थ वर्गीय कर्मी	300.00

मतगणना कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी / कर्मिकों को मानदेय का भुगतान उक्त निर्धारित दर पर मतगणना हॉल में निर्धारित टेबुल पर योगदान करने के पश्चात् ही उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए प्रतिनियुक्ति **परिशिष्ट 05** पर संलग्न है। विधानसभा वार प्रतिनियुक्त नाजिर आकलन कर पूर्व से ही जिला निर्वाचन शाखा से राशि प्राप्त कर लेंगे और उप निर्वाचन पदाधिकारी आवश्यक राशि के साथ बैग, रजिस्टर, कलम एवं वाहन इत्यादि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : उप निर्वाचन पदाधिकारी, जहानाबाद एवं प्रतिनियुक्त कर्मी)

6. **प्रशिक्षण :** मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक के साथ–साथ सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था **दिनांक 04.11.2015 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक एवं 2.00 बजे अपराह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक ग्राम प्लेक्स भवन, समाहरणालय, जहानाबाद** में दो पालियों